कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)
E-mail - eecdpwd_uki@rediffmail.com
Phone/Fax No. - 01371-237084

पत्रांक 832 / ~~अनुसेवक~~ 03 एल०ए० 　　　　　　　　　　दिनांक 9 /07/ 2024

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभगाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

विषय :– **जनपद उत्तरकाशी में मल्ली बधाणगांव मोटर मार्ग के थौला से माड़ तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 8.346 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुए 05 वर्ष व्यतीत होने के कारण भी विधिवत् स्वीकृति प्राप्त हुए 05 वर्ष व्यतीत होने के कारण भी विधिवत् स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण एन०पी०वी० की संशोधित दरों के अनुसार निर्धारण कर अतिरिक्त धनराशि की मांग पत्र के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड़ देहरादून का पत्रांक–1257/PO दिनांक 03.06.2022, वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, मुनि की रेती का पत्रांक–2430/1–14 दिनांक 09.06.2022 एवं कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के पत्रांक 4482/12–1,कोटबंगला दिनांक 20.06.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में जनपद उत्तरकाशी में मल्ली बधाणगांव मोटर मार्ग के थौला से माड़ तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 8.346 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुए 05 वर्ष व्यतीत होने के कारण भी विधिवत् स्वीकृति प्राप्त हुए 05 वर्ष व्यतीत होने के कारण भी विधिवत् स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण एन०पी०वी० की संशोधित दरों के अनुसार निर्धारण कर अतिरिक्त धनराशि की मांग की जानी है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के पत्रांक 4482/12–1,कोटबंगला दिनांक 20.06.2024 के माध्यम से प्रश्नगत धनराशि की मांग इस खण्ड से की गयी है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है –

प्रस्ताव संख्या	ईको क्लास	क्षेत्रफल (हे०)	स्टेज–I की तिथि	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किये गये एन० पी० वी० धनराशि का आंकलन			वर्तमान मे निर्धारित नई दरों के अनुसार एन० पी० वी० धनराशि का आंकलन			जमा किये जाने वाली अवशेष एन० पी० वी० की धनराशि (रू० में)
				औसत घनत्व	दर प्रति हे०	धनराशि (रू० में)	औसत घनत्व	दर प्रति हे०	धनराशि (रू० में)	
FP/UK/ROAD/20179/2016	V	8.346	20.02.2018	0.4	845000.00	7052370.00	0.4	1292850.00	10790126.00	**3737756.00**

अतः आपसे निवेदन है कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के मल्ली बधाणगांव मोटर मार्ग के थौला से माड मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 8.346 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु उक्त वर्णित धनराशि रू. **37,37,756.00** (रू. सैंतीस लाख सैंतीस हजार सात सौ छप्पन) मात्र का आवंटन एवं साख सीमा उक्त मदों के अन्तर्गत निर्गत करने की कृपा करें। ताकि वांछित धनराशि सम्बन्धित लेखा शीर्षको के अन्तर्गत भारत सरकार के खाते में जमा करायी जा सकें। उक्त धनराशि जमा होने के पश्चात ही भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जा सकें।

क्रमशः पेज 2 पर....

Scanned with OKEN Scanner

संलग्न– 1. प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, उत्तरकाशी के पत्र की छायाप्रति।
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त का शासनादेश की छायाप्रति।

भवदीय

(इं. मनोज दास)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी प्रमुख अभियन्ता को पत्र प्रेषित करने की कृपा करेगें।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 6वां वृत्त, लो.नि.वि., उत्तरकाशी को सादर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी प्रमुख अभियन्ता को पत्र प्रेषित करने की कृपा करेगें।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सहायक अभियन्ता, प्रथम को इस आशय से प्रेषित कि विभागाध्यक्ष कार्यालय में व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर वांछित धनराशि निर्गत कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

Scanned with OKEN Scanner

(1)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374222964 Tel.No- 01374222444

पत्रांक- 4482 /12-1, कोटबंगला दिनांक 20 /06/2024

फाईल सं० 3 स्लूठ 28
डायरी सं० 693
दिनांक 5/07/2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी में गल्ली बधाणगांव मोटर मार्ग के थौला से माड़ तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 8.346 है0 वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुए 05 वर्ष व्यतीत होने के कारण भी विधिवत स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण NPV की संशोधित दरों के अनुसार निर्धारण कर अतिरिक्त धनराशि के मांग पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक–1257/PO दिनांक 03.06.2022 एवं वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, मुनि की रेती का पत्रांक–2430/1–14 दिनांक 09.06.2022 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के द्वारा प्राप्त निर्देशों के कम में अवगत कराना है कि ऐसे प्रकरण जिनमें सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage-I Approval) जारी हुए 05 साल से अधिक समय व्यतीत हो चुका हो की जा चुका है परन्तु वर्तमान समय तक विधिवत स्वीकृति (Stage-II Approval) प्राप्त नही हुई है, में NPV की संशोधित दरों के अनुसार निर्धारण कर अतिरिक्त धनराशि का मांग पत्र जारी कर प्रस्तावक विभाग से अतिरिक्त धनराशि वसूल करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में आपको अवगत कराना है कि विषयगत मोटर में दिनांक 20.02.2018 को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है जिसे 20.02.2023 को 05 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, परन्तु आतिथि तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नही हो पाई है।

अतः विषयगत मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुए 05 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त भी विधिवत स्वीकृति प्राप्त न हो पाने के कारण NPV की संशोधित दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करने हेतु संशोधित डिमाण्ड नोट निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा है :-

प्रस्ताव संख्या	ईको क्लास	क्षेत्रफल (है0 में)	Stage-I की तिथि	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किये गये एन0पी0वी0 धनराशि का विवरण			वर्तमान में निर्धारित नई दरों के अनुसार एन0पी0वी0 धनराशि का आंकलन			जमा किये जाने वाली अवशेष एन0पी0वी0 की धनराशि (रू0 में)
				औसत घनत्व	दर प्रति है0	धनराशि (रू0 में)	औसत घनत्व	दर प्रति है0	धनराशि (रू0 में)	
FP/UK/ROAD/20179/2016	V	8.346	20.02.2018	0.4	845000.00	7052370.00	0.4	1292850.00	10790126.00	3737756.00

उपरोक्तानुसार जमा किये जाने वाली अवशेष एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 3737756.00 का (Challan Generate) कर ऑनलाइन नोडल अधिकारी कार्यालय में जमा करने के उपरान्त जमा धनराशि की चालान सहित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि परियोजना हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही समय से की जा सके। इसके अतिरिक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तो की अनुपालन आंख्या भी इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(डी0पी0 बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

पत्रांक 4482/12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि –

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून उक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डी0पी0 बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

AE-I / Amimp
आवश्यक कार्यवाही करें,

D:\DraftMan Letter\Letter.docx

Scanned with OKEN Scanner

नि.दे.प.

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर--मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/02/2017/एफ0सी0/1190 दिनांक: /02/2018

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : Diversion of 8.346 ha of forest land for construction of Malli-Bandhangaon motor road from Thaula to Maad motor road (10 km) in favour of Public Work Department within the jurisdiction of Uttarkashi Forest Division, District Uttarkashi, Uttarakhand. (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/20179/2016).

सन्दर्भ : ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/20179/2016 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक-07/X-4-17/1(02)/2017 दिनांक 20.01.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/20179/2016 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र के अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय-समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/ दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने एवं प्रस्ताव को Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 19.01.2018 को हुई बैठक में पारित किया गया। REC द्वारा प्रस्ताव को पारित करते हुए वांछित आवश्यक सूचनाओं/दस्तावेजो के प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार **Diversion of 8.346 ha of forest land for construction of Malli-Bandhangaon motor road from Thaula to Maad motor road (10 km) in favour of Public Work Department within the jurisdiction of Uttarkashi Forest Division, District Uttarkashi, Uttarakhand**हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 16.692 है0 कुमराड़ा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर मे अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर **Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।**
5. सड़क निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहां-जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will submit original hard copy of FRA certificate and original/attested copy of its annexure.
7. State Govt. will upload CA scheme for double the degraded land at para 13 online Part II.

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत्
स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।
सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:–**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 16.692 है0 कुमराडा सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सडक के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
8. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
9. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
10. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 207 से अधिक न हों।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीया,

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

Scanned with OKEN Scanner